(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 42/2023
दिनांक 28 अक्तूबर, 2023

विषयः— प्याज के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य लागू करना।

सा.आ. (अ.): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची 02 के अध्याय 07 के क्रम संख्या 51 के तहत प्याज की निर्यात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती हैः

क्रम संख्या	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
51	0703 10 10 0712 20 00	किलोग्राम	प्याज (बैंगलोर रोज प्याज और कृष्णापुरम प्याज को छोडकर सभी किस्में) कटे हुए, स्लाईस्ड या पाउडर के रूप पिसे हुए को छोड़कर।	मुक्त	दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक 800 अमेरिकी डॉलर एफ.ओ.बी. प्रति मीट्रिक टन (एम.टी.) की न्यूनतम निर्यात कीमत (एम.ई.पी.)के अध्यधीन

2. यह अधिसूचना दिनांक 29 अक्तूबर, 2023 से लागू होगी।

3. प्याज की निम्नलिखित खेपों को एमईपी के बिना निर्यात करने हेतु अनुमति दी जाएगीः

i जहां प्याज की खेप इस अधिसूचना से पहले सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सौपी जा चुकी है और उनकी प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है/जहां प्याज की खेप इस अधिसूचना से पहले निर्यात हेतु सीमा शुल्क स्टेशन में प्रवेश कर चुकी है और इस अधिसूचना के जारी होने से पहले इन वस्तुओं की सीमा शुल्क स्टेशन में प्रवेश करने की तारीख और समय की मुहर सत्यापन योग्य प्रमाण के साथ सीमा शुल्क स्टेशन के संबंधित अभिरक्षक इलेक्ट्रोनिक प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है। निर्यात की अवधि दिनांक 30 नवम्बर, 2023 तक होगी।

ii निर्यात शुल्क का इस अधिसूचना के जारी होने से पहले भुगतान किया गया हो। ऐसा निर्यात शुल्क गैर—वापसी योग्य है। ।

3. <u>इस अधिसूचना का प्रभावः</u>

प्याज का निर्यात 'मुक्त' है। 31 दिसंबर, 2023 तक न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) यूएस डॉलर 800 एफओबी प्रति मीट्रिक टन (एमटी) लगाया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
28.10.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई—मेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 01/91/171/50/विविध/एएम21/ई—26586 से जारी)